

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर
क्रमांक: लेखा-12 / (प्रोग्राम) आं.जां.का. / 2022-23 /
दिनांक:

—:संशोधित आदेश:—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा-12 (प्रोग्राम) आं.जां./आं.जां.का./ 2023-24 / 3934 दिनांक 28.06.23 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

आं. जां. द. सं.	आन्तरिक जांच दल का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आदेशित अंकेक्षण अवधि	पूर्व में निर्धारित तिथि	अंकेक्षण हेतु संशोधित तिथि
07	श्री उदय सिंह, सहा0 लेखाधिकारी-द्वितीय दल सदस्य श्री प्रदीप कुमावत सहा0 लेखाधिकारी-द्वितीय जोन-उदयपुर।	सीएचसी, थाड़ा (प्रतापगढ़)	04 / 11 से 03 / 23	07.08.23 से 11.09.23	25.07.23 से 05.08.23
		सीएमएचओ, प्रतापगढ़	04 / 18 से 03 / 23	12.09.23 से 20.10.23	07.08.23 से 28.08.23
		सीएचसी, मावली (उदयपुर)	04 / 17 से 03 / 23	—	29.08.23 से 15.09.23
		सीएचसी, वल्लभनगर (उदयपुर)	04 / 17 से 03 / 23	—	16.09.23 से 30.09.23

उपरोक्त विवरण के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि आं. जां. द. 07 अंकेक्षण अवधि उपरोक्तानुसार संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Sd
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: लेखा-12 / (प्रोग्राम) आं.जां.का. / 2022-23 / 5049-51

दिनांक: 24/8/23

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-उदयपुर।
- श्री उदयसिंह, सहा0 लेखाधिकारी-द्वितीय एवं श्री प्रदीप कुमावत, सहा0 लेखाधिकारी-द्वितीय जोन-उदयपुर को पालनार्थ।
- प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर